

# कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) नागौर

क्रमांक:- सहायता / लेखा / 2024 / 1135

दिनांक:- 12/9/24

## प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ. 8(09)आ.प्र.एवं सहा/बाढ़/प्रस्ताव/2024/राजकाज 10394369 दिनांक 11.09.2024 द्वारा मानसून वर्ष 2024 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की तात्कालिक अस्थायी मरम्मत एवं पुरुत्थान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की गई है।

अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त नागौर, सा.नि.वि. खण्ड नागौर उपखण्ड, तहसील व ब्लॉक खीवसर के 86 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 212.92 लाख, अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त नागौर, सा.नि.वि. खण्ड मेड़तासिटी उपखण्ड, तहसील व ब्लॉक मेड़ता के 83 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 233.42 लाख, अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त नागौर, सा.नि.वि. खण्ड मेड़तासिटी उपखण्ड तहसील व ब्लॉक रियांबडी के 33 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 96.96 लाख, अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त नागौर, सा.नि.वि. खण्ड डेगाना उपखण्ड डेगाना तहसील व ब्लॉक डेगाना व सांजू के 69 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 142.98 लाख, अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त नागौर, सा.नि.वि. खण्ड डेगाना उपखण्ड, रियांबडी तहसील व ब्लॉक भैरुन्दा व रियांबडी के 26 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 62.84 लाख, अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त नागौर, सा.नि.वि. खण्ड जायल उपखण्ड, जायल तहसील व ब्लॉक डेह व जायल के 28 कार्यों हेतु कुल राशि 90.75 लाख एवं अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त नागौर, सा.नि.वि. खण्ड जायल उपखण्ड, जायल तहसील व ब्लॉक जायल के 38 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 161.61 लाख कुल 363 कार्यों हेतु राशि रुपये 1001.48 लाख (अक्षरे रुपये दस करोड़ एक लाख अड़तालीस हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

- (1) विभाग द्वारा प्रति किलोमीटर की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः सा.नि. विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के रेस्टोरेशन पर न करें।
- (2) प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
- (3) जिला कलक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस. डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
- (4) बजट संबंधित कार्यकारी संस्था को ने दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (5) वे सड़कें जो डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।

- (6) जिला कलेक्टर बजट की ऑनलाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत ऑरडिनरी रिपेयर और पेरीडिकल रिपेयर (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़को के रेस्टोरेशन हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जाये।
- (7) कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होनी कि वे एसडीआरएफ के अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
- (8) जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
- (9) जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
- (10) प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावें। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण-पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- (11) आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावें।
- (12) स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराये जा सकेंगे।
- (13) स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।
- (14) निजी निक्षेप खाते में राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावें। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।

- (15) निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2024 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।
- (16) कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात् करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णता: प्रमाण—पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करावें।
- (17) व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखें जावें।

(अरूण कुमार पुरोहित)  
जिला कलक्टर (सहायता)  
नागौर

दिनांक: 12/9/24

क्रमांक:— सम/2024/ 1136-38

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. शासन संयुक्त सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी, वृत्त नागौर को प्रेषित कर लेख है कि आपके कार्यालय द्वारा अग्रेषित प्रस्ताव में सा.नि.वि. खण्ड मेड़तासिटी उपखण्ड, तहसील व ब्लॉक मेड़ता के प्रस्तावों के क्र.सं. 04 व 05 पर अंकित कार्य में ओडीआर सड़क हेतु राशि रुपये 5.07 लाख की मांग की गई है उक्त कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्ताव में कुल 85 कार्य हेतु मांग की गई राशि रुपये 238.49 लाख के स्थान पर 02 कार्यों को कम करते हुए 83 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 233.42 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

— सा.नि.वि. खण्ड मेड़तासिटी उपखण्ड, तहसील व ब्लॉक रियांबडी के प्रस्तावों के क्र.सं. 03 व 04 पर अंकित कार्यों में ओडीआर सड़क हेतु राशि रुपये 10.20 लाख की मांग की गई है उक्त कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्ताव में कुल 35 कार्य हेतु मांग की गई राशि रुपये 107.16 लाख के स्थान पर 2 कार्यों को कम करते हुए 33 कार्यों हेतु कुल राशि 96.96 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

— सा.नि.वि. खण्ड डेगाना उपखण्ड, डेगाना तहसील व ब्लॉक डेगाना व सांजू के प्रस्तावों के क्र.सं. 1 से 3 पर अंकित कार्यों में राज्य राजमार्गों की सड़कों को दोनों तरफ से अलग-अलग किलोमीटर मानते हुए राशि रुपयों 80 लाख की मांग की है जो नोर्म्स अनुसार अनुमत नहीं है एवं क्र.सं. 04 व 05 पर अंकित कार्यों में ओडीआर सड़कों हेतु राशि रुपये 6.12 लाख की मांग की गई है उक्त कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं है उक्त प्रस्ताव में कुल 74 कार्य हेतु मांग की गई राशि रुपये 229.10 लाख के स्थान पर 05 कार्यों को कम करते हुए 69 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 142.98 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

— सा.नि.वि. खण्ड डेगाना उपखण्ड, रियांबडी तहसील व ब्लॉक भैरुन्दा व रियांबडी के प्रस्तावों के क्र.सं. 01 से 03 पर अंकित कार्यों में राज्य राजमार्गों की सड़कों को दोनो तरफ से अलग-अलग किलोमीटर मानते हुए राशि 8.80 लाख की मांग की है जो नोर्म्स अनुसार अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्ताव में कुल 29 कार्य हेतु मांग की गई राशि रुपये 71.64 लाख के स्थान पर 03 कार्यों को कम करते हुए 26 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 62.84 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

— सा.नि.वि. खण्ड जायल तहसील व ब्लॉक डेह व जायल के सड़क मरम्मत के प्रस्तावों के क्र.सं. 1 पर एमडीआर रोड मरम्मत हेतु कुल 11 किलोमीटर के लिए राशि रुपये 11 लाख की मांग की गई है, जबकि लोकेशन के अनुसार 10 किलोमीटर के लिए राशि रुपये 10.00 लाख स्वीकृत किये जा सकते हैं। क्र.सं. 02 पर अंकित कार्य में ओडीआर सड़क हेतु राशि रुपये 2.44 लाख की मांग की गई है उक्त कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्ताव में कुल 29 कार्य हेतु मांग की गई राशि रुपये 94.19 लाख के स्थान पर 01 कार्य को कम करते हुए 28 कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 90.75 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

3. कोषाधिकारी, नागौर।

जिला कलक्टर (सहायता)  
नागौर

Document certified by Arun Kumar  
Purohit <dm-nag-rj@nic.in>.

Digitally Signed by Arun Kumar  
Purohit  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date :12-09-2024 08:12:47